(33)

संख्या-18/1/99/का-2-99

प्रेषक,

बी0एन0-दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2003

विषय:- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिये आरक्षण ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-18/1/99 दिनांक 26 फरवरी, द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। इस शासनादेश के अनुपालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99 दि0 30 अगस्त, 1999 द्वारा पुनः निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन अनेक विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है क्योंकि लोक सेवाओं में महिला आरक्षण का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

3- इस संबंध में आपको पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि लोक सेवाओं में महिला आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

29/8/2003

(बी0एन0 दीक्षित)
विशेष सचिव ।

विभाग द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अनेक अभियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं उन अभियाचनों की पहले पुनः समीक्षा की जाए और जो अत्यंत आवश्यक पाए जाए उनके सापेक्ष भर्ती की अनुमति देने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाए और विभागीय मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाए।

4. सभी प्रकार की भर्ती को स्थगित किये जाने को अधिक स्पष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि भर्ती में समस्त संवर्गीय/निःसंवर्गीय पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती, तदर्थ पदोन्नति, संविदा, नियत वेतन, नियमित वेतन पर तदर्थ, दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति जिसमें पूर्व से चल रहे सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर न पुनः सेवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रकार के भर्ती/नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

कुछ समय पूर्व आरक्षण को पूरा करने के उद्देश्य से पदों को डाउन ग्रेड करके पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे डाउन ग्रेडेड पदों की पुनः समीक्षा की जाए और पन्द्रह दिन के अन्दर अवगत कराया जाए कि इन पदों पर भर्ती की आवश्यकता है या नहीं।

5. मुझसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों को अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

ह0/-
अरूण सिंघल
सचिव ।

संख्या-20/I/91/का-2/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0/-
बी0एन0 दीक्षित
विशेष सचिव ।

प्रमाणित

Rekha 16/X/03

श्रीमती रेखा सक्सेना
अनुभाग अधिकारी,
कार्मिक अनुभाग-2,
उ0प्र0 सचिवालय ।